सत्यमेव जयते

सैनिक कल्याण विभाग

राजस्थान सरकार

कल्याणकारी योजनाएं

सत्यमेव जयते

कल्याणकारी योजनाएं

सैनिक कल्याण विभाग
राजस्थान सरकार

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
1	प्रदेश की वीरांगनाओं को विशेष पहचान पत्र	2
2	द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर को वित्तीय सहायता	2
3	सम्मान भत्ता	3
4	प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सुविधाएँ	3
5	शौर्य पदक धारकों को सुविधाएँ	10
6	भूमि आवंटन हेतु नवीन नियम	14
7	पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दोहरी पेंशन'	14
8	नियोजन हेतु आरक्षण	14
9	सेना में 15 साल की सेवा नियोजन के लिये ग्रेजुएट के समकक्ष	15
10	नियोजन हेतु अवसरों में वृद्धि	15
11	पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधायें	16

12	टेट्रा प्लेजिक/पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिकों को सहायता	16
13	'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड'	17
14	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र तथा बालक/बालिका छात्रावास	17
15	सैनिक विश्राम गृह	19
16	भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ अमगलमेटेड फण्ड	19
17	अमलगमेटेड फण्ड से देय सहायता/सुविधाएँ	20
18	ध्वज दिवस	23
19	जिला सैनिक बोर्ड	23
20	गौरव सेनानियों की रैलियाँ	24
21	सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए ''भूतपूर्व सैनिक हेल्प लाईन''	24
22	सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए कॉल सेन्टर	24
23	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुविधाएँ	25

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर

पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी कार्यों के सम्पादन के लिए वर्ष 1919 में 'राजपूताना इंडियन सोलजर्स बोर्ड' (Rajputana Indian Soldiers Board) की स्थापना हुई। वर्ष 1950 में राज्य सैनिक बोर्ड का गठन कर इसे राजस्थान सरकार के अधीन स्थाई विभाग घोषित किया गया तथा दिनांक 28.12.1994 को राज्य सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर इसे सैनिक कल्याण विभाग कर दिया गया। इसी प्रकार जिला स्तर पर संचालित जिला सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कर दिया गया। पूर्व सैनिकों को रोजगार/स्व–रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ–साथ विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/नियमों के अनुसार सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना इस विभाग का मुख्य उद्धेश्य है। इस हेतु प्रदेश के 33 जिलों में 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। विभाग द्वारा प्रदेश के सशस्त्र

सेनाओं के शहीदों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाऐं संचालित करने तथा उन्हें सुविधायें प्रदान करने के साथ–साथ दिनांक 01 अप्रैल 1999 एवं इसके पश्चात सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सी ए पी एफ) तथा भारतीय तटरक्षक बल के शहीद कार्मिकों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।

प्रदेश के गौरव सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, उनके परिजनों तथा गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को राजस्थान सरकार द्वारा देय सुविधाऐं

1. प्रदेश की वीरांगनाओं को विशेष पहचान पत्र–

शहीद की वीरांगना को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा विशेष पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस पहचान पत्र को सरकारी कार्यालयों में दिखाए जाने पर वीरांगनाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है तथा उनके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाता है।

2. द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर को वित्तीय सहायता–

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) में भाग लेने वाले सैनिक/सैनिकों की विधवाऐं, जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/सहायता नहीं मिल रही है, को राज्य सरकार

द्वारा वर्तमान मे 10000 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। यह वित्तीय सहायता बैंक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रतिमाह दिये जाने की सुविधा है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. सम्मान भत्ता–

दिनांक 01.04.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं काउन्टर इन्सरजेंसी ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को राज्य सरकार 5000 रूपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त सम्मान भत्ता अविवाहित शहीदों के माता–पिता को भी देय है। सम्मान भत्ता बैंक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हर माह दिए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सुविधाएँ –

(अ) दिनांक 01.04.1999 से पूर्व शहीद सैनिकों के परिजनों को सुविधाएँ–01 अप्रैल 1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों/

काउण्टर इन्सरजेंसी/काउण्टर टेररिस्ट ओपरेशनों में प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं –

(क) **कृषि भूमि का आवंटन**–दिनांक 01.04.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1500/– रूपये से 10,000/– रूपये नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि आवंटन का प्रावधान है। आवेदन के लिए अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर बैटल कैजुअलिटी रिपोर्ट संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) **शहीदों के परिजनों को नियोजन**–15 अगस्त 1947 से 31.12.1970 के दौरान शहीद सैनिक के कुटुम्ब के एक सदस्य को नियोजन तथा वर्ष 1971 से 31.3.1999 के दौरान विभिन्न युद्धों एवं काउण्टर इन्सरजेंसी ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं स्थायी युद्ध विकलांग सैनिकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है।

(ग) **शहीदों के परिजनों को विद्युत कनेक्शन**–राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971 में शहीद हुए सैनिकेां के आश्रितों को कृषि कार्यो हेतु विद्युत कनेक्शन 'आउट ऑफ टर्न' दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन युद्ध विधवाओं के स्वयं के नाम पर कृषि भूमि नही है तो शहीद के पिता के नाम की भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी किया जावेगा।

(घ) **निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति**–भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971 में शहीद सैनिक के आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। स्कूल स्तर रूपये 1800/– एवं कालेज स्तर पर रूपये 3600/– छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है ।

(ब) **दिनांक 01.04.1999 से पूर्व स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों एवं उनके परिजनों को सुविधाएँ**–01 अप्रैल 1999 से पूर्व विभिन्न काउण्टर इन्सरजेंसी ओपरेशनों तथा युद्धों में प्रदेश के स्थायी युद्ध विकलांग सैनिकों को निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं–

(क) **नकद राशि एवं कृषि भूमि का आवंटन**–स्थायी विकलांग सैनिकों को पच्चीस हजार रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज–।।) भूमि दिए जाने का प्रावधान है।

(ख) **स्थायी विकलांग सैनिक अथवा उसके परिजन को नियोजन**–स्थाई युद्व विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र/पुत्री को वेतनमान 1 से 9 तक में नियोजन दिए जाने का प्रावधान है।

(स) **दिनांक 01.04.199 एवं इसके पश्चात शहीद सैनिकों के परिजनों को सुविधाएँ (कारगिल पैकेज)**–दिनांक 01.04.1999 एवं उसके बाद शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों/स्थाई रूप से विकलांग हुए सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज देय है। उक्त सुविधा राज्य के मूल निवासी सशस्त्र बलों/केन्द्रीय आर्म्ड पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के ऐसे सदस्य, जो विद्रोह की जवाबी कार्रवाईयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाहियों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में शहीद सैनिकों/स्थाई रूप से अशक्त हुये सैनिकों को देय है जिनकी मृत्यु/स्थाई रूप से अशक्तता को यूनिट द्वारा बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है। स्थाई रूप से

विकलांग सैनिकों में उन्हीं सैनिकों को राज्य सरकार की सुविधा देय है जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो विकलांगता के कारण मेडिकल बोर्ड आउट कर दिये गये हो ।

कारगिल पैकेज निम्नानुसार है :–

(क)	**शहीद की वीरांगना को आर्थिक लाभ**	25 लाख रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज–।।) या 25 लाख रूपये तथा हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एम.आई.जी. श्रेणी का मकान या 50 लाख रूपये नकद
(ख)	**माता पिता को आर्थिक लाभ**	अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता–पिता के नाम से 5.00 लाख रूपये की सावधि जमा।
(ग)	**नियोजन**	शहीद की वीरांगना या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को राज्य

		सरकार के नियमों के तहत नियोजन। पुत्र/पुत्री को पात्रता अर्जित करने तक शहीद की विधवा द्वारा यह अधिकार सुरक्षित रखा जा सकता है।
(घ)	**शिक्षा**	राजकीय विद्यालय, कालेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजिनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा। विद्यालय जाने वाले बच्चे प्रतिवर्ष 1800 रूपये छात्रवृत्ति प्राप्त करेगें। कालेज, तकनीकी, मेडिकल, इंजिनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 3600 रूपये होगी। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जावेगी।
(ड़)	**शहीद का सम्मान**	एक विद्यालय/ औषधालय/ चिकित्सालय/पंचायत भवन/ मार्ग/पार्क/अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद सैनिक के नाम किया जावेगा।

(च)	**अन्य सुविधाऐं**	रा.रा.वि.म. द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो कि शहीद के परिवार के सदस्य के नाम से हो, के लिए 'आउट आफ टर्न' एक विद्युत कनेक्शन दिया जावेगा। रा.रा.प.प.नि. द्वारा शहीद की वीरांगना एवं उसके आश्रित बच्चों एवं शहीद के माता–पिता को डिलक्स एवं साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी किया जावेगा।

(द) **दिनांक 01.04.1999 एवं इसके पश्चात स्थायी विकलांग सैनिकों एवं उनके परिजनों को सुविधाएँ –**

(क)	आर्थिक लाभ	5 लाख रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज –II) या 30 लाख रूपये नकद
(ख)	नियोजन	स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र / पुत्री को राज्य सरकार के नियमों के तहत नियोजन।

सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त –कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों के आश्रितों (माता–पिता/पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) एवं विकलांग सैनिकों/अधिकारियों के नाम धारित सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त रखा गया है।
नोट–शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में उसके माता–पिता को कारगिल पैकेज के पैरा 1 (क) का परिलाभ देय होगा परन्तु पैरा 1 (ख) का परिलाभ देय नहीं होगा।

5. शौर्य पदक धारको को सुविधा–

राजस्थान गेलेन्ट्री अवार्डस (नकद पुरूस्कार एवं भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत शौर्य पदकों से अलंकृत राजस्थान के सैनिकों को नकद राशि, भूमि तथा भूमि की ऐवज में नकद राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में निम्नानुसार नकद राशि, भूमि तथा भूमि की ऐवज में नकद राशि प्रदान की जा रही है –

परमवीर चक्र	20,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये

अशोक चक्र	18,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	16,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
महावीर चक्र	15,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
कीर्ति चक्र	10,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	9,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
वीर चक्र	8,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये

शौर्य चक्र	8,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
युद्ध सेवा मेडल	6,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
सेना/नौ/वायू सेना मेडल	6,25,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये

उपरोक्त के अलावा शौर्य पदक धारकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त हैं –

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, अति विशिष्ठ सेवा मेडल आदि धारकों को राजस्थान हाउस, नई दिल्ली तथा राजस्थान स्थित विश्राम भवनों में ठहरने पर इनसे राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भांति देय दर एवं निर्धारित अवधि तक आवास एव भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) सभी गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन किराये में 50 प्रतिशत तथा युद्ध विधवाओं व गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को टेलीफोन इन्स्टालेशन चार्जेज में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

(ग) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र धारकों को 220 वर्गमीटर का भूखण्ड निर्धारित आरक्षित दरों से कम पर दिए जाने का प्रावधान है।

(घ) गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को इंडियन एयर लाइन्स में हवाई सेवा किराये में 75 प्रतिशत छूट का प्रावधान हैं।

(च) रेल्वे द्वारा प्रायोजित रेलों में सभी चक्र सीरीज धारकों को प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर में कम्पलीमेंटरी कार्ड पास का प्रावधान है।

(छ) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र एवं सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल अलंकरण विजेताओं/उनकी विधवाओं को प्राप्त पेंशन पर आयकर में छूट प्रदान की गई है।

(ज) शौर्य पदक धारकों को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई हैं।

6. भूमि आवंटन हेतु नवीन नियम–

भूमि आवंटन संबंधी कठिनाईयों का समाधान करने के लिए उपनिवेशन विभाग द्वारा सशस्त्र सेनाओं एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के शहीद एवं स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों तथा शौर्य पदक धारकों को भूमि आवंटन के संबंध में वर्ष 2021 में नवीन नियम जारी किए गए हैं।

7. पूर्व सैनिको की विधवाओं को दोहरी पेंशन'–

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समान भूतपूर्व सैनिको की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ–साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

8. नियोजन हेतु आरक्षण–

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है। ''राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 एवं संशोधित नियम 1996 जारी कर अधिनस्थ एवं तृतीय श्रेणी सेवा वर्ग में 12.5 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित कर रखा है। उक्त नियमों के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष तक कैरी फारवर्ड का प्रावधान भी है। राज्य सरकार

द्वारा उक्त नियमों में संशोधन कर अप्रैल 1996 से समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत चयन प्रकिया अपनाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी रिक्तियों के विरूद्ध निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। रिक्तियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9. सेना में 15 साल की सेवा ग्रेजुएट के समकक्ष–

सभी भूतपूर्व सैनिक जो कि सेना में भर्ती के समय 10वीं पास थे और सेना में 15 साल की सर्विस की है उन्हें राज्य सरकार के अधिनस्थ नौकरी के लिए ग्रेजुऐट के समकक्ष माना जाता है।

10. नियोजन हेतु अवसरों में वृद्धि–

बजट भाषण वर्ष 2021–22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ–साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए Lateral entry से

सरकारी सेवा में आने के अवसर 5000 भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किये जावेगें।

11. पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधायें–

(क) पूर्व सैनिकों की 1000 प्रतिभावान छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 100 रूपये एवं कालेज स्तर पर 150 रूपये प्रतिमाह निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) 01.04.1999 के पश्चात विभिन्न ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए सभी स्तर की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है :–

अ.	स्कूल स्तर पर	1800 रूपये सालाना
ब.	कॉलेज स्तर पर (तकनीकी शिक्षा सहित)	3600 रूपये सालाना

12. टेट्रा प्लेजिक/पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिको को सहायता–

टेट्रा प्लेजिक/पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिको को 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

13. 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड'–

भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानजनक पुनर्नियोजन हेतु 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड' स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस निगम को 5 करोड रूपये की अंशपूंजी उपलब्ध करायी गयी है। निगम के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय विभागों एवं उपक्रमों में सम्मानजनक तरीके से संविदा के आधार पर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में रेक्सको के माध्यम से लगभग 10,000 पूर्व सैनिकों को केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों तथा प्रतिष्ठानों में संविदा के आधार पर नियोजन प्रदान किया जा रहा है।

14. वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र तथा बालक/बालिका छात्रावास–

प्रदेश में जयपुर, सीकर एवं झुंझुनूं में वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों तथा बालक–बाालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। कोटा में रहकर कोचिंग प्राप्त कर रही पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की पुत्रियों के लिए कोटा में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। नव–निर्मित वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, जोधपुर का संचालन शीध्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों में प्रथम वरियता के आधार पर शौर्य पदक धारकों की वीरांगनाओं, उसके पश्चात शहीद की वीरांगना (बैटल कैजुअल्टी), युद्ध में विकलांग सैनिकों की पत्नी तथा स्थान उपलब्ध होने पर पूर्व सैनिक की विरांगनाओं को प्रवेश दिया जाता है। इसी प्रकार से बालक – बालिका छात्रावास में प्रथम वरियता के आधार पर शौर्य पदक धारक शहीद सैनिकों के बच्चे, उसके पश्चात शहीद सैनिक (बैटल कैजुअलिटी) के बच्चे, युद्ध विकलांग सैनिकों के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक की विधवा के बच्चे तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

(क) **जयपुर**–राज्य का पहला वीरांगना छात्रावास एवं पुर्नवास केन्द्र जयपुर के विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में सेना एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 3.5 करोड की लागत से बनाया गया है। इस छात्रावास में 33 वीरांगनाओं के लिए आवासीय फ्लैट तथा 100 छात्र एवं 100 छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(ख) **झुन्झुनूं**–झुन्झुनू में संचालित वीरांगना छात्रावास में वीरांगनाओं के लिए 12 फ्लैट तथा 64 छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(ग) **सीकर**–सीकर के संचालित वीरांगना छात्रावास में 20 वीरांगनाओं के निवास तथा 80 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(घ) **कोटा**–विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोटा में कोचिंग प्राप्त कर रही भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की 34 पुत्रियों के लिए कोटा के गॉधी नगर में बालिका छात्रावास संचालित है।

(च) **जोधपुर**–जोधपुर में 2000 वर्ग मीटर भूमि पर 6.5 करोड रूपये की लागत से 12 वीरांगनाओं तथा 64 छात्राओं के आवास हेतु वीरांगना छात्रावास का निर्माण करवाया गया है जिसका संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

15. सैनिक विश्राम गृह–

पूर्व सैनिको को जयपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों/तहसीलों पर अस्थाई निवास की सुविधा हेतु राज्य में 36 सैनिक विश्राम गृह संचालित हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

प्रदेश के गौरव सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं तथा उनके परिजनों को अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति के माध्यम से देय सुविधाएँ

16. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ अमगलमेटेड फण्ड –

वर्ष 1970 में विभिन्न रियासतों के अधीन संचालित सैनिकों के कल्याणार्थ उपलब्ध फण्डों को मिलाकर

'अमलगमेटेड फण्ड' बनाया गया था जिसका नियंत्रण अमलगमेटेड फण्ड के नियमों के अन्तर्गत होता हैं। माननीय राज्यपाल महोदय की में अध्यक्षता में अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति गठित है। प्रबन्धकारिणी समिति की समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाकर भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याणार्थ निर्णय लिये जाते हैं।

17. अमलगमेटेड फण्ड से देय सहायता/सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है–

(क) विवाह के लिए आर्थिक सहायता– सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 25000 रूपये (प्रति कन्या) की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है, जिनके द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की हो। इस आर्थिक सहायता हेतु पुत्री के विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) चिकित्सा सहायता– पूर्व सैनिकों/आश्रितों को गंभीर प्रकृति की बीमारियों यथा कैंसर, कोढ़, टी.बी., गुर्दा,

हृदय रोग, लकवा इत्यादि के इलाज हेतु अलग–अलग आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे या मानसिक रूप से विक्षिप्त सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नी एवं बच्चों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता जिन्हें सेना से डिसेब्लिटी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को निम्नानुसार सहायता राशि 3 वर्षों के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसका नवीनीकरण उसके बाद समय–समय पर किया जावेगा –

क्र. सं.	डिसेब्लिटी का प्रतिशत	आर्थिक सहायता	वरियता
1.	40 प्रतिशत परन्तु 60 प्रतिशत से कम	1000 रूपये प्रतिमाह	तृतीय वरियता
2.	60 प्रतिशत परन्तु 80 प्रतिशत से कम	2000 रूपये प्रतिमाह	द्वितीय वरियता
3.	80 प्रतिशत एवं अधिक	3000 रूपये प्रतिमाह	प्रथम वरियता

(ग) **तत्काल सहायता**–पूर्व सैनिक एवं उनके परिजन जो कि सामाजिक/पारिवारिक/प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हो, निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है–

अध्यक्ष, अमलगमेटेड फण्ड	– 30,000 रूपये
अध्यक्ष, उप समिति अमलगमेटेड फण्ड	– 30,000 रूपये
निदेशक सैनिक कल्याण विभाग	– 1,000 रूपये

(घ) **छात्रवृत्ति** – जेसीओ रैंक तक के सभी पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के ऐसे बच्चे जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्हें प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत तथा अन्य किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत नहीं है, को 15,000 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राशि का प्रावधान है।

(च) **सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा उर्त्तीण करने पर अनुदान** – एनडीए/ सीडीएस/ आई एम ए/ एयर फोर्स नेवल अकादमी आदि की परीक्षा में उर्त्तीण अभ्यार्थियों को कोचिंग हेतु 15,000 रूपये अनुदान दिया जाता है।

18. ध्वज दिवस–

सशस्त्र सेना ध्वज दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसम्बर को मनाया जाता है, इस अवसर पर एकत्रित धन राशि को अमलगमेटेड फण्ड में जमा कर पूर्व सैनिकों के कल्याण में उपयोग किया जाता हैं।

शहीद सैनिकों के परिजनों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं विधवाओं की समस्याओं का निराकरण

19. जिला सैनिक बोर्ड–

सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिजनों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ''जिला सैनिक बोर्ड'' का गठन किया हुआ है। इन समितियों की जिला तथा उपखण्ड स्तर पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्थानीय स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जाकर सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं के निस्तारण में सहानुभूति–पूर्ण रवैया अपनाते हुए समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन कर उन्हें राहत पहुंचाई जाती है। अतः पूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इन समितियों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

20. गौरव सेनानियों की रैलियॉं –

सेना के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले में गौरव सेनानियों के लिए रैली आयोजित की जाती हैं। रैली के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों एवं बैंकों के अधिकारियों को आमन्त्रित किया जाता है तथा मौके पर ही पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की पेंशन तथा अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

21. सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए ''भूतपूर्व सैनिक हेल्प लाईन''–

दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा पूर्व सैनिकों की सहायता हेतु जयपुर तथा जोधपुर में ''एक्स सर्विसमैन हैल्प लाईन'' की स्थापना की गई है। इस हैल्पलाईन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु सहयोग किया जाता है तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

22. सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए कॉल सेन्टर–

प्रदेश के हजारों सैनिक जो कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दूर–दराज के इलाकों एवं दुर्गम सीमाओं पर

तैनात रहते हैं तथा आतंक विरोधी कार्यवाही में सघन संलग्नता के कारण डयूटी के दौरान लम्बी अवधि तक बाहर परिवार से दूर रहते हैं और अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते, उनकी डयूटी के दौरान उनके परिवारों को आ रही समस्याओं को दर्ज कर एवं उनका निराकरण हेतु सैनिक विश्राम गृह, जयपुर में कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। यह कॉल सेंटर अन्य राजकीय कार्यालयों की तरह से कार्य करता है। कॉल सेंटर का नम्बर 0141–2201467 तथा E-Mail-rajsainiksahayta@gmail.com है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुविधाएँ

23. पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके परिजनों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निम्नांकित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है–

(क) **पेन्यूरी ग्रान्ट**–हवलदार एवं समकक्ष रैंक के नॉन–पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 4000 रूपये प्रतिमाह पेन्यूरी ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है।

(ख) **छात्रवृत्ति**–हवलदार एवं समकक्ष रैंक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्नातक डिग्री तथा विधवाओं को स्नातनोत्तर डिग्री तक प्रतिमाह 1000 रूपये (अधिकतम 2 बच्चे) छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(ग) **दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता**–पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए 3000 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(घ) **पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान**–हवलदार रैंक के पूर्व सैनिको ंएवं उनकी विधवाओं को पुत्री/विधवा पुत्री के पुनर्विवाह हेतु 50000 रूपये प्रति पुत्री आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।

(च) **चिकित्सा सहायता**–हवलदार रैंक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को चिकित्सा हेतु दैनिक व्ययों के लिए 30000 रूपये प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(छ) **मकान मरम्मत हेतु अनुदान**–पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों तथा हवलदार रैंक के 100 प्रतिशत दिव्यांग पूर्व सैनिकों/विधवाओं को प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हुए मकान की मरम्मत हेतु अधिकतम 20000 रूपये आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(ज) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) प्रशिक्षण के दौरान अनुदान**–हवलदार रैंक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को

एन.डी.ए. प्रशिक्षण के दौरान प्रति बच्चा 1000 रूपये प्रति माह आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(झ) **अंतिम संस्कार हेतु अनुदान**—पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार हेतु उसकी विधवा को 5000 रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

(ट) **अनाथ बच्चों को अनुदान**—पूर्व सैनिकों के अनाथ पात्र बच्चों को प्रतिमाह 1000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ठ) **व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान**—पूर्व सैनिकों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अधिकतम 20000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ढ) **गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु अनुदान**—नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 125000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ड) **मोडिफाईड स्कूटर हेतु अनुदान**—50 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले पूर्व सैनिकों को मोडिफाईड स्कूटर हेतु 57500 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ण) **ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान**—युद्ध वीरांगनाओं तथा युद्ध दिव्यांगों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज राशि के भुगतान हेतु अधिकतम 100000 रूपये तक आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बेवसाईट www.ksb.gov.in का अध्ययन करें।

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय
पता, टेलीफोन नम्बर, ई–मेल एवं कार्यक्षेत्र

क. सं.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टेलीफोन नम्बर एवं ईमेल	कार्यक्षेत्र
1.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजमेर टोडरमल मार्ग, राजस्व मण्डल के सामने, अजमेर – 305001 टेली. नं.– 0145–2627972 Email- ZSKA.AJMER@RAJASTHAN.GOV.IN	अजमेर जिला
2.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अलवर कम्पनी बाग के सामने, अलवर– 301001 टेली. नं.–0144–2338527 Email- zska.alwar@rajasthan.gov.in	अलवर जिले की अलवर, कोटकासिम, तिजारा, थानागाजी, कठुमर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, रैनी, किशनगढ़बास, रामगढ़, गोविन्दगढ़, मालाखेड़ा तहसीलें।

3.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बहरोड़ दयानन्द मार्ग, पावर हाऊस के पास, बहरोड़–301701 जिला अलवर टेली. नं.–01494–222084 Email-ZSKA.BEHROR@RAJASTHAN.GOV.IN	अलवर जिले की बहरोड़, बानसुर, नीमराणा, मुण्डावर तहसीलें
4.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, भीलवाडा मानसरोवर झील के पास, रीको रोड, पटेल नगर, भीलवाड़ा– 311001 टेली. नं.–8619439038 Email- zska.bhilwara@rajasthan.in	भीलवाडा एवं चित्तौड़गढ़ जिला
5.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बाड़मेर इंदिरा कॉलोनी, बाड़मेर – 344001 टेली. नं.–02982–221185 Email-zska.barmer@rajasthan.gov.in	बाड़मेर जिला
6.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, भरतपुर गोवर्धन गेट के पास, भरतपुर–321001 टेली. नं.–05644–223707 Email-ZSKKBTP@RAJASTHAN.GOV.IN	भरतपुर एवं धौलपुर जिला

7.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बीकानेर सिविल लाईन्स, गॉधी पार्क के सामने, बीकानेर– 334001 टेली. नं.–0151–2226671 Email- ZSKA.BIK@RAJASTHAN.GOV.IN	बीकानेर जिला
8.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चूरू भालेरी रोड़, पुलिस लाईंस के पास, चूरू– 331001 01562–250948 Email- SAINIKKALYAN.CHURU@RAJASTHAN.GOV.IN	चूरू जिला
9.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जयपुर सी–1, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर– 302016 टेली. नं.–0141–2201487 Email- ZSKA.JAIPUR@RAJASTHAN.GOV.IN	जयपुर एवं दौसा जिला
10.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जैसलमेर रेल्वे स्टेशन के सामने, अशोका होटल के पास, जैसलमेर–345001 टेली. नं.–02992–294720 Email- zska-jai-rj@nic.in	जैसलमेर जिला

11.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, झुन्झुनूं रेल्वे स्टेशन के पास, झुन्झुनूं–333029 टेली. नं.–01592-232653 Email- zska.jjn@rajasthan.gov.in	झुन्झुनूं जिले की झुन्झुनू, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुढ़ा गौड़ जी, मलसीसर, मण्डावा तहसीलें।
12.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चिड़ावा डालमिया स्कूल स्पोर्टस ग्राउण्ड के पीछे, कोर्ट रोड़, चिड़ावा– 333026, जिला झुन्झुनूं टेली. नं.–01596–222880 Email- SAINIK.CHIRAWA@RAJASTHAN.GOV.IN	झुन्झुनूं जिले की चिडावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी तहसीलें।
13	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जोधपुर राई का बाग, बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर–342006 टेली. नं.–0291-2650372 Email- zska-jod-rj@nic.in	जोधपुर जिले की जोधपुर, ओसियां, भोपालगढ, तिवंरी, बिलाड़ा, लूनी, बावड़ी, बापिनी, पिपाड़ सिटी तहसीलें।

14.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शेरगढ तहसील मुख्यालय के पास, शेरगढ–342022 जिला जोधपुर टेली. नं.–02929-243694 Email-ZSKA.SHERGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	जोधपुर जिले की शेरगढ़, फलौदी, बालेसर, सेखाला, देचू, लोहावट, बाप, आउ, सेतरावा तहसीलें।
15.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कोटा जे.के.लॉन अस्पताल के पास, नर्सिंग कॉलेज के सामने, नयापुरा, कोटा–324001 टेली. नं.–0744-2323712 Email- Zska.kota@rajasthan.in	कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिला
16.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नागौर रेल्वे क्रोसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर – 341001 टेली. नं.–01582–240776 Email-sainik.nagaur@rajasthan.gov.in	नागौर जिले की नागौर, खिवंसर, जायल, डेगाना, मेडतासिटी तहसीलें।

17.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, डीडवाना आर.टी.ओ. आफिस के पास, डीडवाना, नागौर टेली. नं.–01580-294789 Email- zska-nag-did-rj@nic.in	नागौर जिले की डीडवाना, लाडनू, नावां, परबतसर, मकराना, कुचामन तहसीलें।
18.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पाली होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के पास, नया गॉव रोड़, पाली – 306401 टेली. नं.–02932–225230 Email- zska.pali@rajasthan.in	पाली, जालोर एवं सिरोही जिला
19.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, करौली गदका की चौकी, वन विभाग के पास करौली– 322241 टेली. नं.–07464–297014 Email- ZSKA.KARAULI@RAJASTHAN.GOV.IN	करौली एवं सवाईमाधोपुर जिला।

20.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, सीकर कलेक्ट्रेट के पास, कोर्ट रोड़, सीकर – 332001 टेली. नं.–01572–254437 Email- ZSKA.SIKAR@RAJASTHAN.GOV.IN	सीकर जिले की सीकर, धोद, रामगढ़ शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़ तहसीलें।
21.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, नीमकाथाना पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के सामने, छावनी, नीम का थाना–332713 जिला सीकर टेली. नं.–01574-231920 Email- ZSKA.NKT@RAJASTHAN.GOV.IN	सीकर जिले की नीमकाथाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर तहसीलें।
22.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, टोंक 1/17, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बस स्टैंण्ड के सामने, टोंक – 304001 टेली. नं.–01432–294618 Email- ZSKATONK@RAJASTHAN.GOV.IN	टोंक जिला

23.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, श्रीगंगानगर पुराने गवर्नमेन्ट हॉस्पीटल के पीछे, सिविल लाईन्स, श्रीगंगानगर– 335001 टेली. नं.–0154–2442547 Email- ZSKA.SGGNR@RAJASTHAN.GOV.IN	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ जिला
24.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, उदयपुर सी–76, मधुबन, चेतक सर्किल के पास, उदयपुर–313001 टेली. नं.–0294-2940052 Email- rjko201327014784@rajasthan.in	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिला

सैनिक विश्राम गृह

क्र.सं.	सैनिक विश्राम गृह का नाम एवं पता
1	सैनिक विश्राम गृह, अजमेर टोडरमल मार्ग, राजस्व मण्डल के सामने, अजमेर – 305001
2	सैनिक विश्राम गृह, ब्यावर पुलिस कोतवाली के पास ब्यावर जिला अजमेर – 305203
3	सैनिक विश्राम गृह, अलवर कम्पनी बाग के सामने, अलवर – 301001
4	सैनिक विश्राम गृह, बहरोड़ दयानन्द मार्ग, पावर हाऊस के पास, बहरोड़– 301701 जिला–अलवर
5	सैनिक विश्राम गृह, बानसूर ग्राम पोस्ट – रामनगर, गूता–बानसूर रोड़, बानसूर, – 301416 जिला–अलवर
6	सैनिक विश्राम गृह, भीलवाडा मानसरोवर झील के पास, रीको रोड़, पटेल नगर, भीलवाड़ा – 311001
7	सैनिक विश्राम गृह, बाडमेर इंदिरा कॉलोनी, बाड़मेर – 344001

8	सैनिक विश्राम गृह, भरतपुर गोवर्धन गेट के पास, भरतपुर –321001
9	सैनिक विश्राम गृह, धौलपुर भूमि विकास बैंक के पास, जी.टी. रोड़, धौलपुर–328001
10	सैनिक विश्राम गृह, बीकानेर सिविल लाईन्स, गॉधी पार्क के सामने, बीकानेर– 334001
11	सैनिक ि

16	सैनिक विश्राम गृह, झुन्झुनूं रेल्वे स्टेशन के पास, झुन्झुनूं – 333029
17	सैनिक विश्राम गृह, चिड़ावा डालमिया स्कूल स्पोर्टस ग्राउण्ड के पीछे, कोर्ट रोड़, चिड़ावा– 333026, जिला झुन्झुनूं
18	सैनिक विश्राम गृह, जोधपुर राई का बाग, बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर– 342006
19	सैनिक विश्राम गृह, औसियां एस0डी0ओ0 आफिस के सामने, बस स्टैण्ड के पास, औसियां–342303 जिला जोधपुर
20	सैनिक विश्राम गृह, शेरगढ़ तहसील मुख्यालय के पास, शेरगढ–342022 जिला जोधपुर
21	सैनिक विश्राम गृह, फलौदी फांटा (कुई जोधा) तहसील बालेसर –342301 जिला जोधपुर
22	सैनिक विश्राम गृह, कोटा जे.के.लॉन अस्पताल के पास, नर्सिंग कॉलेज के सामने, नयापुरा, कोटा–324001

23	सैनिक विश्राम गृह, झालावाड़ नई कोतवाली के पीछे, झालावाड़–326001
24	सैनिक विश्राम गृह, नागौर रेल्वे क्रोसिंग के पास, संजय कॉलोनी, नागौर – 341001
25	सैनिक विश्राम गृह, डीडवाना भारतीय जीवन बीमा निगम के पीछे, डीडवाना – 341303 जिला–नागौर
26	सैनिक विश्राम गृह, पाली होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र के पास, नया गॉव रोड़, पाली – 306401
27	सैनिक विश्राम गृह, करौली गदका की चौकी, वन विभाग के पास, करौली– 322241
28	सैनिक विश्राम गृह, सवाईमाधोपुर पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर– 322201
29	सैनिक विश्राम गृह, सीकर कलेक्ट्रेट के पास, कोर्ट रोड़, सीकर – 332001
30	सैनिक विश्राम गृह, फतेहपुर बी.एस.एन.एल आफिस के पीछे, फतेहपुर शेखावाटी –332301 जिला–सीकर

31	सैनिक विश्राम गृह, नीम का थाना पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस के सामने, छावनी, नीमकाथाना–332713 जिला–सीकर
32	सैनिक विश्राम गृह, श्री गंगानगर पुराने गवर्मेन्ट हास्पीटल के पीछे, सिविल लाईन्स, श्री गंगानगर– 335001
33	सैनिक विश्राम गृह, हनुमानगढ़ राजीव गॉधी स्टेडियम के सामने, हनुमानगढ़– 335512
34	सैनिक विश्राम गृह, उदयपुर सी–76, मधुबन, चेतक सर्किल के पास, उदयपुर– 313001
35	सैनिक विश्राम गृह, भीम तहसील रोड़, भीम– 305921 जिला–राजसमन्द
36	सैनिक विश्राम गृह, राजसमन्द पुलिस लाईन्स के सामने, राजसमन्द–313324

वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, बालक एवं बालिका छात्रावास

क्र. सं.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र	सुविधा
1.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, सांझी छत, जयपुर पी–08, सेक्टर 2, विधाधर नगर, जयपुर– 302039 सम्पर्क – 0141–2230948	वीरांगनाएँ – 33 छात्राएँ – 100 छात्र – 100
2.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, सीकर नवलगढ रोड़, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, शिवसिंह पुरा, सीकर।	वीरांगनाएँ – 20 छात्र – 80
3.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, झुन्झुनू रेल्वे स्टेशन रोड़, झुन्झुनू	वीरांगनाएँ – 12 छात्राएँ – 64

4.	वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, जोधपुर पाली रोड़, जोधपुर	वीरांगनाएँ – 12 छात्राएँ – 64
5.	बालिका छात्रावास, कोटा गाँधी नगर, आरके पुरम, कोटा	छात्राएँ –34

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग
कमरा नम्बर 7230, द्वितीय तल,
खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर– 302005
ई–मेल : rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : **sainikkalyan.rajasthan.gov.in**

यह एक सूचना पुस्तिका है जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

इस पुस्तिका का उपयोग कानूनी प्रकरणों में नहीं किया जा सकता है।

यह पुस्तिका दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक अद्यतन है।

"When you go home,

tell them of us and say,

for your tomorrow,

we gave our today."

www.sainikkalyan.rajasthan.gov.in